(आज दिनांक 20.09.17 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत निरोध में व्यतीत अविध के कारावास व एवं रूपये 500 शब्दों में पांचसौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर दस दिवस का साधारण कारावास की सजा मुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा सम्पत्ति 22 क्वार्टर प्लेन शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर ट्रिकत

Judicial Magistrate First Class